भारतीय रिजर्व बैंक
निजी क्षेत्र में "लघु वित्त बैंकों" को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशानिर्देश
27 नवंबर 2014

1. प्रस्तावना

भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशानिर्देश अंतिम बार 22 फरवरी 2013 को जारी किए थे। रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया दिनांक 2 अप्रैल 2014 की प्रेस प्रकाशनी में की गई इस घोषणा के साथ समाप्त हुई कि बैंक दो आवेदकों को "सैद्धान्तिक" अनुमोदन देगा, जो 18 महीनों के भीतर निजी क्षेत्र में नए बैंकों की स्थापना करेंगे।

ये दिशानिर्देश तैयार करते समय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार पर समिति (अध्यक्ष: श्री एम.नरसिंहम) (1998), वित्तीय क्षेत्र में सुधार पर समिति (अध्यक्ष: डॉ. रघुराम जी. राजन) (2009) तथा अन्य विचारों/दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए भारत में बैंकिंग संरचना पर एक सुस्पष्ट नीति की आवश्यकता को स्वीकार किया।

तदनुसार, रिजर्व बैंक ने 27 अगस्त 2013 को 'भारत में बैंकिंग संरचना – भावी स्वरूप' विषय पर एक नीतिगत चर्चा – पत्र अपनी वेबसाइट पर जारी किया। उक्त चर्चा पत्र में एक टिप्पणी यह भी थी की भारत में जनता के अल्प बैंकिंग सुविधा प्राप्त तथा बैंकिंग सुविधा से वंचित वर्गों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना एक चुनौती है, इसलिए बैंक रहित या कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों में छोटे बैंकों का विस्तार करके बैंक ऋणों और सेवाओं तक पहुंच बनाने पर विचार करना उचित होगा।

दिनांक 10 जुलाई 2013 को प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट 2014-15 में माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि :

"वर्तमान ढांचे में उचित बदलाव करने के बाद वर्तमान वित्त वर्ष में निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों के निरंतर प्राधिकार के लिए एक रूपरेखा शुरू की जाएगी। रिजर्व बैंक लघु बैंकों और अन्य भिन्न भिन्न बैंकों को लाइसेन्स प्रदान करने के लिए एक ढांचा तैयार करेगा। यह माना जा रहा है कि विशिष्ट हितों को पूरा करने वाले भिन्न-भिन्न बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक, भुगतान बैंक आदि लघु कारोबारियों, असंगठित क्षेत्र, कम आय वाले परिवारों, किसानों और प्रवासी कार्यबल की ऋण और विप्रेषण आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।"

यह भी उल्लेखनीय है कि अगस्त 1996 में तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के बाद भारत में छोटे बैंकों का प्रयोग किया गया था और रिज़र्व बैंक ने 24 अगस्त

1996 की प्रेस प्रकाशनी के द्वारा स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) की स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। स्थानीय क्षेत्र बैंकों को कम लागत वाली संरचना माना गया था जो परिचालन के सीमित दायरे में अर्थात् मुख्यत: ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कुशल और प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं देंगे। स्थानीय क्षेत्र बैंकों के पास न्यूनतम 5 करोड़ रुपये की पूंजी और तीन निकटस्थ जिलों में परिचालन क्षेत्र होना अपेक्षित था। वर्तमान में चार स्थानीय क्षेत्र बैंक संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए कि लघु बैंक देश के बैंक रहित तथा अल्प बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों में माइक्रो और लघु उद्योगों, कृषि को ऋण की आपूर्ति करने, और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस प्रदान किए जाएं। तथापि, लघु बैंकों को अनुमति देते समय उनके आकार, पूंजी अपेक्षाएं, परिचालन का क्षेत्र, एक्सपोज़र मानदंड, विनियामक निर्देश, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तथा समाधान से संबंधित मुद्दों पर प्राप्त अनुभव के आधार पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए। तदनुसार, निजी क्षेत्र में लघु बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रारूप दिशानिर्देश तैयार किए गए तथा 17 जुलाई 2014 को आम जनता के सुझावों हेतु उन्हें जारी किया गया। प्रारूप दिशानिर्देशों के संबंध में प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों के आधार पर लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया।

II. दिशानिर्देश

1. पंजीकरण, लाइसेंस देना तथा विनियमन

लघु वित्त बैंक को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। इसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अधीन लाइसेंस प्रदान किया जाएगा तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949; भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934; विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999; भुगतान और निपटान प्रणालियाँ अधिनियम, 2007; साख सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005; निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961; अन्य संबंधित संविधियों और निदेशों, विवेकपूर्ण विनियमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य विनियामकों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य दिशानिर्देशों/अनुदेशों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। लघु वित्त बैंक द्वारा परिचालन शुरू किए जाने पर तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(6)(क) के अनुसार उपयुक्त पाए जाने पर उसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया जाएगा।

2. उद्देश्य

लघु वित्त बैंकों की स्थापना का उद्देश्य (i) मुख्यत: जनसंख्या के वंचित तथा अल्प सेवा प्राप्त वर्ग के लिए बचत के साधनों का प्रावधान करना, तथा (ii) लघु कारोबार इकाइयों; छोटे और सीमांत किसानों; माइक्रो और लघु उद्योगों; तथा असंगठित क्षेत्र की अन्य संस्थाओं को उच्च प्रौद्योगिकी – कम लागत परिचालनों के माध्यम से ऋण की आपूर्ति करना है।

3. पात्र प्रवर्तक

बैंकिंग और वित्त में 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले निवासी व्यक्ति/ व्यावसायिक; तथा निवासी भारतीयों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियां और समितियां लघु वित्त बैंकों की स्थापना करने के लिए प्रवर्तकों के रूप में पात्र होंगे। निवासी भारतीयों के स्वामित्व और नियंत्रणाधीन मौजूदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, माइक्रो वित्त संस्थाएं(एमएफआई), तथा स्थानीय क्षेत्र बैंक, भी विभिन्न प्राधिकारियों की सभी विधिक और विनियामक अपेक्षाओं की पूर्ति करने के बाद लघु वित्त बैंक में परिवर्तन का विकल्प चुन सकते हैं, यदि वे इन दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। तथापि, लघु वित्त बैंक की स्थापना के प्रयोजन से बने विभिन्न प्रवर्तक समूहों के संयुक्त उद्यम को अनुमति नहीं दी जाएगी। चूंकि ऐसे बैंकों को लाइसेंस प्रदान करते समय स्थानीय फोकस और छोटे ग्राहकों को सेवा देना मुख्य मानदंड होंगे, अत: स्थानीय उद्यमियों अथवा ऐसे उद्यमियों के लिए, जो समाज के बैंकिंग सुविधा से वंचित/ अल्प बैंकिंग सुविधा प्राप्त वर्गों को उधार देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, के लिए यह और अधिक उचित माध्यम होगा। तदनुसार, बड़ी सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं और औद्योगिक तथा व्यावसायिक घरानों, उनके द्वारा प्रवर्तित एनबीएफसी सहित, के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2009 में परिभाषित किए गए अनुसार प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूहों को लघु वित्त बैंक का प्रवर्तन करने के लिए पात्र होने की दृष्टि से 'योग्य और उचित' होना चाहिए। रिज़र्व बैंक आवेदकों और सामूहिक संस्थाओं की 'योग्य और उचित' स्थिति का मूल्यांकन उनकी सुदृढ़ साख और सत्यनिष्ठा, वित्तीय सुदृढ़ता और कम से कम 5 वर्ष के व्यावसायिक अनुभव या कारोबार चलाने के अनुभव के सफल रिकॉर्ड के आधार पर करेगा।

4. गतिविधियों का दायरा

लघु वित्त बैंक की स्थापना जिन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए की गई है, उनमें मूल बैंकिंग गतिविधियां जमाराशियां स्वीकार करना और लघु कारोबार इकाइयों, छोटे और सीमांत

किसानों, माइक्रो और लघु उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं सहित बैंकिंग सुविधा से वंचित और अल्प बैंकिंग सुविधा प्राप्त वर्गों को उधार देना शामिल होगा। यह जोखिम रहित साधारण वित्तीय सेवा गतिविधियों में भी भाग ले सकता है, जिनमें स्वयं की निधियों की प्रतिबद्धता न हो, जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से तथा ऐसे उत्पादों के लिए क्षेत्रीय विनियामक की अपेक्षाओं की पूर्ति के बाद म्यूच्युअल फंड यूनिट, बीमा उत्पाद, पेंशन उत्पाद आदि का वितरण करना।लघु वित्त बैंक अपने ग्राहकों की आवश्यकतानुसार विदेशी मुद्रा व्यवसाय में श्रेणी II प्राधिकृत व्यापारी भी बन सकता है। यह गैर बैंकिंग वित्तीय सेवा गतिविधियों के लिए सहायक कंपनी की स्थापना नहीं कर सकता।

शुरुआती पांच वर्षों के दौरान लघु वित्त बैंकों के वार्षिक शाखा विस्तार योजना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा। वार्षिक शाखा विस्तार योजनाओं में कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों (नवीनतम जनगणना के अनुसार जनसंख्या 9,999 तक) में खोलने की अपेक्षा का पालन किया जाना चाहिए।

लघु वित्त बैंकों के परिचालन क्षेत्र में कोई प्रतिबंध नहीं होंगे; तथापि, शुरुआती दौर में बैंक रहित राज्यों/ जिलों के समूह में, जैसे देश के उत्तर-पूर्व, पूर्व और मध्यवर्ती क्षेत्रों में बैंक की स्थापना करने वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। इन आवेदकों को यथासमय अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने में कोई बाधा नहीं आएगी। यह आशा की जाती है कि लघु वित्त बैंक मुख्यत: स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति अनुकूल/उत्तरदायी होंगे। पांच वर्ष की प्रारंभिक स्थिरीकरण अवधि के बाद तथा समीक्षा किए जाने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक लघु वित्त बैंक की वार्षिक शाखा विस्तार योजना के पूर्वानुमोदन की अपेक्षा तथा गतिविधियों के दायरे में छूट दे सकता है।

प्रवर्तकों की अन्य वित्तीय और वित्तेतर सेवा गतिविधियां, यदि कोई हों, को स्पष्ट रूप से अलग रखा जाना चाहिए तथा बैंकिंग व्यवसाय के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए।

लघु वित्त बैंक को अपने नाम में "लघु वित्त बैंक" शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य होगा, ताकि इसे अन्य बैंकों से अलग किया जा सके।

5. पूंजी अपेक्षाएं

लघु वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी 100 करोड़ रुपये होगी। लघु वित्त बैंक में अन्तर्निहित जोखिम को देखते हुए इनसे लगातार जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) का 15 प्रतिशत न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात के रूप में बनाए रखने की अपेक्षा की गई है, जो रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाने वाले उच्चतर प्रतिशत के अधीन होगी। टीयर- I पूंजी आरडब्ल्यूए की कम से कम 7.5 प्रतिशत होनी

चाहिए। टीयर-II पूंजी टीयर -I पूंजी के अधिकतम 100 प्रतिशत तक सीमित होनी चाहिए। चूंकि, लघु वित्त बैंकों से जटिल उत्पादों का कारोबार किए जाने की अपेक्षा नहीं की गई है, अतः इनके पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना बासेल समिति की मानकीकृत विधियों के अंतर्गत की जाएगी।

6. प्रवर्तकों का हिस्सा

लघु वित्त बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी में प्रवर्तक की प्रारंभिक हिस्सेदारी कम-से-कम 40 प्रतिशत होगी। यदि बैंक में प्रवर्तक की प्रारंभिक हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक है तो इसे पांच वर्ष की अवधि में घटाकर 40 प्रतिशत तक लाना होगा। बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी में प्रवर्तक की न्यूनतम 40 प्रतिशत हिस्सेदारी को बैंक का कारोबार शुरू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि तक अवरूद्ध (लाक्ड) रखा जाएगा। इसके अलावा चुकता इक्विटी पूंजी में प्रवर्तक की हिस्सेदारी को बैंक का कारोबार शुरू होने की तारीख से 10 वर्षों के भीतर 30 प्रतिशत तथा 12 वर्षों के भीतर 26 प्रतिशत तक लाना होगा। विविधीकृत शेयरधारिता वाले प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी बशर्ते उनमें प्रवर्तकों की प्रारंभिक शेयरधारिता और बैंक की सूचीबद्धता की समय-सीमा की शर्त को पूरा किया गया हो। तथापि, लघु वित्त बैंक की निवल मालियत 500 करोड़ रुपए पर पहुंच जाने पर निवल मालियत पर पहुंचने के तीन वर्षों के भीतर शेयरों को सूचीबद्ध कराना अनिवार्य हो जाएगा। तथापि, 500 करोड रुपए से कम निवल मालियत वाले लघु वित्त बैंक भी पूंजी बाजार विनियामक की अपेक्षाओं को पूरा करने की शर्तों के अधीन स्वेच्छा से अपने शेयरों को सूचीबद्ध करा सकते हैं।

7. विदेशी शेयरधारिता

लघु वित्त बैंक में विदेशी शेयरधारिता निजी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित समय-समय पर यथासंशोधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के अनुरूप होंगी। मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार, निजी क्षेत्र के बैंकों में सभी स्रोतों से कुल विदेशी निवेश की अनुमति बैंक की चुकता पूंजी के अधिकतम 74 प्रतिशत (49 प्रतिशत तक स्वचालित तथा 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक अनुमोदन मार्ग से) तक होगी। हर समय, चुकता पूंजी का कम से कम 26 प्रतिशत हिस्सा निवासियों द्वारा धारित होना चाहिए। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के मामले में, वैयक्तिक एफआईआई/एफपीआई धारिता चुकता शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से कम तक सीमित रखी गई है, समस्त एफआईआई / एफपीआई/ अहर्ताप्राप्त विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) के लिए समग्र सीमा कुल चुकता शेयर पूंजी के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, जिसे संबंधित बैंक अपने निदेशक मंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके तथा उसके बाद अपनी साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित कर कुल चुकता शेयर पूंजी के 49 प्रतिशत तक बढा सकता है।

अनिवासी भारतीयों के मामले में, व्यक्तिगत धारिता की सीमा प्रत्यावर्तनीय और गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार दोनों को मिलाकर कुल चुकता शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत तक सीमित रखी गई है तथा समग्र सीमा प्रत्यावर्तनीय और गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार दोनों को मिलाकर चुकता शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। तथापि, अनिवासी भारतीय (एनआरआई) धारिता हेतु प्रत्यावर्तनीय और गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार दोनों को मिलाकर कुल चुकता शेयर पूंजी के 24 प्रतिशत तक की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते, बैंकिंग कंपनी द्वारा अपनी साधारण सभा में इस आशय का विशेष प्रस्ताव पारित किया गया हो।

8. शेयरों का अंतरण/अधिग्रहण और मताधिकार

बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 12 (2) के तहत निजी क्षेत्र के बैंकों में किसी भी शेयरधारक के मताधिकार पर 10 प्रतिशत की उच्चतम सीमा लगाई गई है। रिजर्व बैंक इस सीमा को चरणबद्ध रूप से 26 प्रतिशत तक बढा सकता है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 12 ख के अनुसार, निजी क्षेत्र के बैंक में चुकता शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत या अधिक भाग के किसी भी अधिग्रहण के लिए रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक है। यह लघु वित्त बैंकों पर भी लागू होगा।

9. विवेकपूर्ण मानदंड

नए स्थापित होने वाले लघु वित्त बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सुदृढ जोखिम प्रबंधन ढांचा लागू कर दिया गया है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) एवं सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) सहित मौजूदा वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी विवेकपूर्ण मानदंड और विनियमावली लघु वित्त बैंकों पर लागू होंगे। सांविधिक प्रावधानों का उल्लंघन करना स्वीकार्य नहीं होगा।

लघु वित्त बैंकों की स्थापना करने के उद्देश्यों को देखते हुए उनसे अपेक्षित होगा कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के तहत वर्गीकृत पात्र तबकों को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 75 प्रतिशत तक ऋण प्रदान करें। मौजूदा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण निर्धारणों के अनुसार उनके समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 40 प्रतिशत भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत विभिन्न उप क्षेत्रों के लिए आबंटित किया जाना चाहिए, जबकि शेष 35 प्रतिशत भाग को बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के तहत ऐसे एक या अधिक उप क्षेत्रों के लिए आबंटित कर सकता है जहां उसे तुलनात्मक रूप से फायदा मिल रहा हो।

एकल तथा समूह उधारकर्ताओं के लिए अधिकतम ऋण की मात्रा तथा निवेश सीमा एक्सपोजर इसकी पूंजीगत निधियों के क्रमश: 10 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत तक सीमित किया गया है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक द्वारा मुख्यत: लघु

उधारकर्ताओं को ऋण दिया जा रहा है, इसके ऋण पोर्टफोलियो में कम से कम 50 प्रतिशत भाग 25 लाख रुपए तक के ऋण एवं अग्रिमों का होना चाहिए।

पांच वर्ष की शुरुआती स्थिरीकरण अवधि के पश्चात तथा समीक्षा के बाद रिजर्व बैंक उपर्युक्त एक्सपोजर सीमाओं में छूट दे सकता है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 20 के तहत बैंक द्वारा अपने निदेशकों और उन कंपनियों जिनमें ऐसे निदेशकों के हित जुडे हुए हैं, को ऋण एवं अग्रिम दिए जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के अलावा लघु वित्त बैंक को इसके प्रवर्तकों, बड़े शेयरधारकों (जिनकी बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में 10 प्रतिशत शेयरधारिता है), प्रवर्तकों के रिश्तेदारों [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) तथा इसके तहत बनाए गए नियमों में किए गए वर्णनानुसार] तथा संस्थाओं जिनमें इनका उल्लेखनीय रूप से अधिकार तथा नियंत्रण हो (लेखांकन मानक एएस 21 तथा एएस 23 में किए गए वर्णनानुसार) में किसी भी तरह का एक्सपोजर लेने से मना किया गया है।

10.**एनबीएफसी/एमएफआई/एलएबी के बैंक के रूप में परिवर्तन किए जाने के लिए अतिरिक्त शर्तें**

यदि कोई एनबीएफसी/एमएफआई/एलएबी इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, तो वह विभिन्न प्राधिकारियों की सभी विधिक और अनुमोदन अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद स्वयं को लघु वित्त बैंक के रूप में परिवर्तित करने के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे मामले में संस्था की निवल मालियत 100 करोड़ रुपये होगी अथवा 100 करोड़ रुपये की निवल मालियत हासिल करने के लिए संस्था अतिरिक्त चुकता इक्विटी पूंजी लाएगी। यह नोट किया जाए कि लघु वित्त बैंक में परिवर्तन होने पर एनबीएफसी/एमएफआई के रूप में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तथा उसका जो कारोबार बैंक कर सकता है, वह बैंक में चला जाएगा तथा जो गतिविधियां बैंक सांविधिक रूप से नहीं कर सकता, उन्हें बंद किया/ छोड़ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एनबीएफसी/एमएफआईकी शाखाएं या तो बैंक की शाखाओं में परिवर्तित हो जाएंगी, या व्यवसाय योजना के अनुसार उनका विलयन/ बंद कर दिया जाएगा। लघु वित्त बैंक और एनबीएफसी/एमएफआई का सह- अस्तित्व नहीं हो सकता है।

बैंकों को अपनी आस्तियों पर चल प्रभार निर्माण करने से प्रतिबंधित किया जाता है। ऐसे एनबीएफसी/एमएफआई, जो लघु वित्त बैंक में परिवर्तन के लिए लाइसेंस पाने में सफल रहे हैं, यदि उन्होंने जमानती उधारों के लिए अपनी आस्तियों पर चल प्रभारों का निर्माण किया है, जो बैंक में परिवर्तन के दिन उनके तुलन-पत्र में मौजूद हैं, तो भारतीय रिज़र्व बैंक

जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अतिरिक्त पूंजी प्रभार लगाने की शर्त के अधीन ऐसे उधारों की परिपक्वता तक उन्हें बनाए रखने की छूट देगा (ग्रैंडफादरिंग करेगा)।

यदि मौजूदा एनबीएफसी/एमएफआई/एलएबी ने विनियामक अपेक्षाओं या अन्य कारणों के चलते प्रवर्तकों की हिस्सेदारी को 40 प्रतिशत से नीचे तक घटा दिया हो, तो रिज़र्व बैंक प्रवर्तकों के न्यूनतम प्रारंभिक अंशदान पर जोर नहीं देगा, जैसा कि दिशानिर्देशों के पैरा 6 में वर्णित है।

11. व्यवसाय योजना

लघु वित्त बैंक हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन करनेवाले आवेदकों को अपने आवेदन के साथ व्यावसायिक योजना तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। व्यावसायिक योजना में, लघु वित्त बैंक की स्थापना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बैंक का क्या प्रस्ताव है तथा एनबीएफसी/ एमएफआई आवेदकों के मामलें में, एनबीएफसी/ एमएफआई का विद्यमान व्यवसाय बैंक में कैसे परिवर्तित या समाप्त किया /छोड़ दिया जाएगा, यह बताना आवश्यक है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत व्यवसाय योजना वास्तविक तथा व्यावहारिक होनी चाहिए। लाइसेंस जारी करने के बाद नियत व्यवसाय योजना में परिवर्तन की स्थिति में, लघु वित्त बैंक का विस्तार रोकने, प्रबंधन में परिवर्तन करने तथा अन्य दंडात्मक उपाय, जो भी आवश्यक हों, करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक विचार कर सकता है।

12. कारपोरेट गवर्नेंस

i. लघु वित्त बैंक के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अधिक संख्या होनी चाहिए।

ii. बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी कारपोरेट गवर्नेंस दिशा निर्देशों सहित निदेशकों के लिए "योग्य और उचित" मानदंडों का अनुपालन करना चाहिए।

13. अन्य शर्तें

i. यदि लघु वित्त बैंक की स्थापना करने वाला प्रवर्तक एक भुगतान बैंक स्थापित करने की इच्छा रखता है, तो उन्हें गैर- परिचालित वित्तीय होल्डिंग कंपनी (NOFHC) संरचना के अंतर्गत दोनों प्रकार के बैंकों की स्थापना करनी होगी। तथापि एनओएफएचसी संरचना के अंतर्गत स्थापना करने के प्रस्ताव के बावजूद किसी प्रवर्तक को यूनिवर्सल बैंक और लघु वित्त बैंक दोनों के लिए लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा।

ii. प्रवर्तकों के अलावा अन्य व्यक्तियों (रिश्तेदारों सहित) और संस्थाओं को बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी की अनुमति नहीं दी जाएगी। लघु वित्त बैंक में परिवर्तित होने वाले मौजूदा एनबीएफसी / एमएफआई / एलएबी के मामले में, जहां प्रवर्तकों के अलावा अन्य संस्था की चुकता इक्विटी पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है, भारतीय रिजर्व बैंक उनकी शेयरधारिता 10 प्रतिशत तक नीचे लाने के लिए 3 वर्ष तक का समय देने पर विचार कर सकता है।

iii. लघु वित्त बैंक अन्य किसी बैंक का व्यावसायिक प्रतिनिधि नहीं हो सकता। तथापि उसका अपना व्यावसायिक प्रतिनिधियों का नेटवर्क हो सकता है।

iv. बैंक का परिचालन शुरू से ही सामान्यत: स्वीकृत मानकों तथा मानदंडों के अनुरूप और पूर्णत: नेटवर्क तथा प्रौद्योगिकी चालित होना चाहिए; जबकि नई पहलों (जैसे कि आंकड़ों का संचयन, सुरक्षा तथा रिअल टाइम डाटा अपडेशन) को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत प्रौद्योगिकी योजना भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करनी होगी।

v. ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए बैंक के पास उच्च शक्ति प्राप्त ग्राहक शिकायत कक्ष होना चाहिए। लघु वित्त बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के दायरें के अंतर्गत आएंगे।

vi. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों का अनुपालन लाइसेंस देने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। अनुपालन में चूक करने पर बैंक का लाइसेंस रद्द करने सहित अन्य दंडात्मक उपाय किए जाएंगे।

14. रूपांतरण पथ

लघु वित्त बैंक एक विशेषीकृत बैंक के रूप में बने रहने का विकल्प चुन सकता है। यदि यह एक युनिवर्सल बैंक में रूपांतरण करना चाहता है, ऐसा रूपांतरण स्वत: नहीं होगा, बल्कि इसके के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन करना होगा तथा यूनिवर्सल बैंकों के लिए लागू न्यूनतम चुकता पूंजी / निवल मालियत अपेक्षाओं की पूर्ति; लघु वित्त बैंक के रूप में पांच साल की न्यूनतम अवधि के लिए संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड और आरबीआई के समुचित सावधानी कवायद के परिणाम के अधीन होगा। युनिवर्सल बैंक में रूपांतरण करने पर यह एनओएचएफसी संरचना सहित युनिवर्सल बैंक के लिए लागू सभी मानदंडों के अधीन होगा।

15. आवेदन की प्रक्रिया

बैंककारी विनियमन (कंपनी) नियम 1949 के नियम 11 के अनुसार आवेदन निर्धारित फॉर्म (फॉर्म iii) में प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, आवेदकों को पैरा ॥ के अनुसार व्यावसायिक योजना तथा अनुबंध के अनुसार अन्य अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए ऊपर उल्लिखित ब्यौरों के साथ आवेदन एक लिफाफे जिस पर "लघु वित्त बैंक के लिए आवेदन" लिखा हो, में निम्नलिखित पते पर भेजें:

मुख्य महा प्रबंधक
बैंकिंग विनियमन विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, 13 वीं मंजिल
केंद्रीय कार्यालय भवन
शहिद भगत सिंह मार्ग
मुंबई 400001.

लघु वित्त बैंक के लिए आवेदन उपर्युक्त पते पर 16 जनवरी 2015 को करोबार समाप्ति तक प्राप्त किए जाएंगे। लघु वित्त बैंको के साथ व्यवहार करने से प्राप्त अनुभव के आधार पर निरंतर आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। तथापि यह दिशानिर्देश आवधिक समीक्षा और संशोधन के अधीन है।

16. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्णय की प्रक्रिया

i. आवेदकों की प्रारंभिक पात्रता के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आवेदनों की जांच की जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक आवेदनों की योग्यता निर्धारित करने के लिए "योग्य और उचित" मानदंडों के अलावा अन्य मानदंड भी निर्धारित कर सकता है।

ii. इसके बाद बाह्य परामर्शदात्री समिति (ईएसी), जिसमें प्रतिष्ठित व्यावसायिक जैसे, बैंकर, सनदी लेखाकार, वित्तीय व्यावसायिक आदि रहेंगे, आवेदन का मूल्यांकन करेगी। ईएसी में शामिल व्यावसायिकों के नाम भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

iii. ईएसी यदि जरुरी समझे तो वह और अधिक जानकारी मांग सकती है, किसी भी आवेदक/कों के साथ चर्चा कर सकती है तथा किसी भी मामले पर स्पष्टीकरण मांग सकती है। ईएसी भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। बैंक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन जारी करने का निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक करेगा। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

iv. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता ऐसे सैद्धांतिक अनुमोदन देने की तारीख से 18 महीने होगी और इसके बाद यह अपने आप निरस्त हो जाएगी। अत: सैद्धांतिक अनुमोदन मिलने बाद 18 महीनों में बैंक स्थापित करना होगा।

v. बैंक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन जारी करने के बाद प्रवर्तकों के संबंध में या प्रवर्तक जिस कंपनी/ संस्था से जुड़े है उनके बारे में या जिसमें प्रवर्तकों का हित है ऐसे समूह के बारे में यदि कोई विपरीत निष्कर्ष पाए जाते हैं तो भारतीय रिज़र्व बैंक अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है तथा यदि आवश्यक हुआ तो सैद्धांतिक अनुमोदन वापस भी ले सकता है।

vi. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंक लाइसेंस के आवेदन प्राप्त होते ही आवेदकों के नाम भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे। सफल आवेदकों के नाम भी भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

vii. बैंकिंग एक अत्यधिक लीवरेज व्यवसाय होने के कारण अत्यंत चयनित आधार पर, जो उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूर्ण करते हैं, जिनका त्रुटिहीन कार्यनिष्पादन रिकार्ड है तथा जो ग्राहक सेवा के सर्वोत्तम मानक का पालन तथा कार्यक्षमता के लिए सहमत है उन्हें ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे। अत: उपर्युक्त पात्रता मानदंड पूर्ण करने वाले सभी आवेदकों को लाइसेंस प्रदान करना भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए संभव नहीं हैं। शुरूआती वर्षों में लघु वित्त बैंक का लाइसेंस प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक एहतियाती दृष्टिकोण अपनाएगा तथा अपने अनुभव के आधार पर उपयुक्त रूप से दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएगा।

अनुबंध

अतिरिक्त सूचना जो प्रस्तुत की जानी है

I. वर्तमान संरचना

1. वैयक्तिक प्रवर्तक से संबंधित सूचना :

   क. प्रवर्तक का नाम, जन्म तिथि, निवास, अभिभावकों के नाम, पैन संख्या, ऋण सुविधाओं समेत शाखा और बैंक खाते के ब्योरे।

   ख. वैयक्तिक प्रवर्तक के अनुभव और उसकी पृष्ठभूमि से संबंधित विस्तृत ब्योरे, उसका/उसकी विशेषज्ञता, कारोबार का इतिहास और वित्तीय हैसियत, विभिन्न संस्थाओं/कंपनियों/उद्योगों में प्रवर्तक के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हितों के ब्योरे।

2. बैंक का प्रवर्तन करने वाली संस्था से संबंधित सूचना :

   प्रवर्तन करने वाली संस्था में शेयरधारिता का पैटर्न, प्रवर्तन करने वाली संस्था के अंतर्नियम तथा बहिर्नियम तथा पिछले 5 वर्षों की वित्तीय विवरणियाँ (जिनमें उक्त वर्षों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय आसूचकों का सारणीयन भी शामिल होगा), तथा पिछले 3 वर्षों की आयकर विवरणियाँ।

3. प्रवर्तक समूह में व्यक्तियों और संस्थाओं से संबंधित सूचना:

   क. व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम, शेयरधारिता के ब्योरे, सभी संस्थाओं का प्रबंधन तथा उनकी कॉर्पोरेट संरचना, एक संगठन-चित्र जिसमें संस्थाओं की संरचना, शेयरधारिता, और कुल आस्तियां दर्शाई गई हों।

   ख. समूह की सभी संस्थाओं की पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें

   ग. प्रवर्तक समूह (वित्तीय, गैर-वित्तीय और विदेशी संस्थाओं) के सभी व्यक्तियों और संस्थाओं के नामों का सारणीयन जिसमें निगमन की तिथि, पंजीकृत कार्यालय का पता, संस्था की गतिविधियां, पैन संख्या, टैन संख्या, सीआईएन संख्या, संस्था जिस आयकर सर्किल के अंतर्गत आती है उस का नाम, संस्थाओं को उपलब्ध ऋण सुविधा सहित खाता संख्या, बैंक शाखा और खाता के ब्योरे, संस्था के विनियामक (सेबी द्वारा विनियमित संस्थाओं के मामले में पंजीकरण) के ब्योरे, समूह की संस्थाओं के (स्टॉक एक्सचेंज में) सूचीबद्ध किए जाने संबंधी ब्योरे सभी शामिल हैं।

II. **प्रस्तावित संरचना**

आवेदकों को उन व्यक्तियों/संस्थाओं से संबंधित विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए जिनकी प्रस्तावित बैंक में हिस्सेदारी चुकता इक्विटी पूंजी (शेयरधारिता पैटर्न) का 5 प्रतिशत या उससे अधिक होगी। प्रस्तावित बैंक में विदेशी इक्विटी की हिस्सेदारी तथा प्रस्तावित निवेशकों की पूंजी का स्रोत भी उक्त सूचना में शामिल किया जाना चाहिए।

III. परियोजना रिपोर्ट

एक परियोजना रिपोर्ट बनाई जाएगी जिसमें प्रस्तावित बैंक की कारोबारी क्षमता और अर्थक्षमता, प्रस्तावित परिचालन क्षेत्र, अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सेवाओं के दिये जाने संबंधी प्रस्ताव सीआरआर /एसएलआर[2] से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने हेतु योजना, ऋण पोर्टफोलियो की संरचना, दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र इत्यादि, तथा महत्वपूर्ण समझी जाने वाली कोई अन्य सूचना शामिल होगी। परियोजना रिपोर्ट समुचित यथार्थ सूचना पर आधारित होगी, उसमें यथाव्यवहार्य अधिकतम ठोस ब्योरे दिये जाएंगे तथा उसमें अवास्तविक और निरर्थक रूप से महत्वाकांक्षी लक्ष्यों से बचा जाएगा। कारोबार योजना में बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन[3] के लक्ष्य को प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव भी किया जाएगा और एनबीएफ़सी/एमएफ़आई आवेदक होने की स्थिति में यह बताया जाएगा कि एनबीएफ़सी /एमएफ़आई का मौजूदा कारोबार किस प्रकार या तो बैंक के कारोबार में शामिल हो जाएगा अथवा उसको समाप्त/निपटान कर दिया जाएगा।।

IV. कोई अन्य सूचना

प्रवर्तक आवेदनों को समर्थन देने वाली कोई अन्य प्रासंगिक सूचना या दस्तावेज़ भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक भविष्य में आवश्यकता होने पर कोई अतिरिक्त सूचना मांग सकता है।

1 कारोबार योजना में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित भी (किन्तु केवल ये ही नहीं) शामिल होने चाहिए -अंतर्निहित पूर्वधारणाएं, मौजूदा बुनियादी सुविधाएं/नेटवर्क/शाखाएँ, और प्रस्तावित उत्पाद श्रेणियाँ, लक्षित ग्राहक, लक्षित स्थान, जोखिम प्रबंधन, मानव संसाधनों से संबंधित योजनाएँ, शाखा नेटवर्क, मौजूदगी के वैकल्पिक केंद्र, प्रौद्योगिकी का प्रयोग, पाँच वर्षों के लिए वित्तीय लक्ष्य इत्यादि ।

2. एनबीएफ़सी आवेदकों के मामले में, मौजूदा सीआरआर/एसएलआर अपेक्षा, लक्षित सीआरआर/एसएलआर अपेक्षा और सीआरआर/एसएलआर संबंधी सांविधिक मानदंडों के अनुपालन के लिए योजना से संबंधित सूचना दी जाएगी।

3. वित्तीय समावेशन योजना में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित भी (किन्तु केवल ये ही नहीं) शामिल होने चाहिए- वित्तीय समावेशन संबंधी उत्पाद प्रदान करने, वित्तीय साक्षरता का प्रवर्तन करने , तथा लघु वित्त बैंकों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त उद्यम या भागीदारी के ब्योरे।